बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
बिहार राज्य योजना पर्षद

संकल्प

विषयः– **मूल्यांकन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन ।**

राज्य में विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु राज्य सरकार के संकल्प ज्ञापांक **4210** दिनांक **28.12.2007** द्वारा राज्य मूल्यांकन समिति गठित है । राज्य मूल्यांकन समिति की सहायता के लिए राज्य सरकार ने निम्नरूपेण विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया हैः–

1. सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग – अध्यक्ष

2. प्रो0 भगवान प्रसाद सिंह, – सदस्य
   विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग,
   पटना विश्वविद्यालय, पटना ।

3. प्रो0 अरूण कुमार सिन्हा, – सदस्य
   विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी विभाग,
   पटना विश्वविद्यालय, पटना ।

4. प्रो0 सुदीप्त अधिकारी, – सदस्य
   विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग,
   पटना विश्वविद्यालय, पटना ।

5. निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय – पदेन सदस्य

6. निदेशक, बिहार राज्य योजना पर्षद — सदस्य सचिव

2. इस समिति के निम्नांकित कार्य होंगे–

(क) योजनाओं के मूल्यांकन के लिये Sampling Methodology, Schedule Designing एवं Tabulation Plan को अंतिम रूप देना ।

(ख) मूल्यांकन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ।

(ग) वाह्य एजेन्सी से मूल्यांकन कार्य सम्पन्न कराने की स्थिति में वाह्य एजेन्सी के चयन में सहयोग प्रदान करना ।

(घ) मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन में परिमार्जन हेतु सुझाव देना ।

(ङ) मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन पर प्रशासी विभाग के मंतव्य को समावेशित करने हेतु परामर्श देना ।

3. समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक 1000/–रू0 (एक हजार रूपये), प्रत्येक योजना के मूल्यांकन अध्ययन हेतु Sampling Mthodology Schedule Designing and Tabulation Plan तथा अन्य तकनीकी कार्यों के लिए 2000/– रू0 (दो हजार रूपये) एवं प्रत्येक मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन पर मंतव्य एवं प्रतिवेदन में परिमार्जन हेतु सुझाव के लिए 4000/– रू0 (चार हजार रूपये) की दर से मानदेय भुगतेय होगा । इसके अतिरिक्त प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु 100/– (एक सौ) रूपया परिवहन व्यय देय होगा ।

4. समिति को सचिवालयीय सहायता बिहार राज्य योजना पर्षद द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी तथा इसका मुख्यालय पटना में रहेगा ।

5. समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियाँ राज्य सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिवों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/ सम्बद्ध सदस्यों को प्रसारित की जाय तथा इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित भी किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1193 यो0प0/पटना, दिनांक 02 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशानार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि वे इस संकल्प की 200 मुद्रित प्रतियाँ निदेशक, बिहार राज्य योजना पर्षद, बिहार, पटना को कृपया उपलब्ध करा दें ।

ह0/–

प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 1193 यो0प0/पटना, दिनांक 02 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपिः–राज्य मूल्यांकन समिति के उपाध्यक्ष यानी विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–

प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 1193 यो0प0/पटना, दिनांक 02 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपिः–राज्य मूल्यांकन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–

प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 1193 यो0प0/पटना, दिनांक 02 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपिः–सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों/सभी विभागाध्यक्षों/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों एवं सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 1193 यो0प0/पटना, दिनांक 02 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपिः–निदेशक, बिहार राज्य योजना पर्षद/उप सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

प्रधान सचिव